

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 102/12

तारीख 21.5.19

01. मोती पिता दोला खाती उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. मदनलाल पिता भंवरलाल जाति सुथार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कैलाश चन्द्र पिता हीरा जाति खाती उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मनोहर पिता उंकार जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. जीतमल पिता कैला जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजेश कुमार पिता प्यारा जाति सुथार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाह टाफरुस)
06. कैलाश पिता मोहनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. प्रभु पिता जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. शंभुलाल पिता लालु जाति खाती उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. मोहनलाल पिता लालु जाति खाती उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 4.6.19

प्रार्थना पत्र मोती पिता दोला खाती उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा चान्दजी की खेडी पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 291 पर अंकित आराजी संख्या 569, 737/1, 1136/568 कुल किता 03 रकबा 6-11 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्द में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडीशियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट रवीकार किया जाकर मौजा चान्दजी की खेडी पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 291 पर अंकित आराजी संख्या 569, 737/1, 1136/568 कुल किता 03 रकबा 6-11 बीघा भूमि बशामलात पडीशियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु अर्पित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।  
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा